

लोक-सुनवाई का वृत्त

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या: S.O. 1533, Dated 14.09.2006 यथा संशोधित के अनुपालन में बालू-घाटों से बालू का उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से उनकी टिप्पणी, विचार एवं सलाह प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुपालन हेतु लोक सुनवाई संपन्न कराया जाता है।

मेसर्स मैग्निफिक इन्टरप्राइजेज, प्रो०: श्री ओबैद उल अहद, पिता: श्री अब्दुल अहद, चौथी मंजिल, 402, सोफिटेल् अपार्टमेंट, दानापुर, खगौल रोड, फलवारी शरीफ, पटना, बिहार द्वारा अरवल जिला स्थित सोन नदी के (सोन-09, कामता-02) बालू-घाट, मौजा: कामता, अंचल: कलेर, थाना: परासी में कुल 18.50 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र में 3,33,000 घनमीटर प्रतिवर्ष अथवा 5,59,440 टन प्रतिवर्ष बालू का उत्खनन के उद्देश्य से राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, पटना में आवेदन समर्पित किया गया है। राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तदनुसार Terms of Reference (TOR ID No: TO26B0107BR5863845N) आवेदक को उपलब्ध कराया है।

आवेदक द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सशुल्क आवेदन समर्पित करते हुए लोक सुनवाई संपन्न कराने का अनुरोध किया गया। तदनुसार दिनांक 22.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे से प्रखण्ड कार्यालय, कलेर, जिला: अरवल में अपर समाहर्ता, अरवल की अध्यक्षता में लोक सुनवाई संपन्न कराई गयी।

आहूत लोक सुनवाई में प्रखण्ड कार्यालय, कलेर के सभागार में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे:-

1. श्री रवि प्रसाद चौहान, अपर समाहर्ता, अरवल;
2. श्री अंजनी कुमार सिन्हा, सहायक पर्यावरण अभियंता;
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुख्यालय, पटना;
3. मो० अरमान राईन, खान निरीक्षक, अरवल;
4. श्री नीतीश कुमार, पर्यावरणीय सलाहकार, मेसर्स एगिस एन्वायरन्मेंट रिसर्च प्रा०लि०, पटना;
5. कामता, कलेर, डंगा बिगहा, परशुरामपुर एवं लक्ष्मणपुर वासे के कुल 11-नागरिक (उपस्थिति सूची संलग्न)।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई आरम्भ करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं प्रस्तावित प्रभाव क्षेत्र के उपस्थित नागरिकों का स्वागत किया गया तथा उन्हें अवगत कराया गया कि प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के तहत निर्गत Terms of Reference (TOR) के अनुरूप बालू उत्खनन, इनके उठाव एवं परिवहन के दौरान उत्पन्न जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण रोक-थाम हेतु आवेदक द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त उपस्थित नागरिकों को विभिन्न प्रदूषण से संबंधित अन्य कठिनाईयों अथवा अन्य सुझाव, टिका-टिप्पणी एवं अपना विचार रखने का मौका प्रदान किया जायेगा।

उक्त दौरान उपस्थित नागरिकों में से श्री नौलेश कुमार एवं अन्य लोगों द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी के नाम एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया। तदोपरान्त शोर-सराबा मचाते हुए यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित बालू घाट से मुख्य सड़क तक आने वाला रास्ता कामता गाँव से गुजरता है। इसकी चौड़ाई मात्र 08 फीट है। उक्त पथ पर बड़े वाहनों के संचालन से जान-माल का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में बालू घाट की निकासी पथ भोजपुर जिला होकर की जाय अथवा उक्त बालू घाट परियोजना की स्वीकृति प्रदान नहीं किया जाय। इस प्रकार सभी नागरिकों द्वारा विरोध प्रकट करते हुए सभाकक्ष से बाहर चले गये।

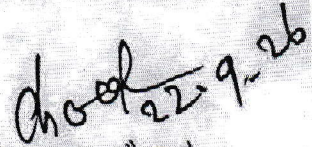
तत्पश्चात् अपर समाहर्ता द्वारा पट्टाधारी के प्रतिनिधि श्री बिनकटेश सिंह से वार्ता की गयी। उक्त क्रम में पट्टाधारी ने अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना में ग्रामीण मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग के निर्माण हेतु स्थानीय ग्रामीणों से रैयति भूमि के क्रय की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लगने की संभावना के कारण बालू घाट के संचालन में विलम्ब हो सकता है।

लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय द्वारा बालू घाट परियोजना के प्रस्तावक को यह निदेश दिया कि ग्रामीणों के विरोध को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण सड़क की जगह अन्य वैकल्पिक रास्ता निर्माण के उपरान्त ही बालू घाट का संचालन सुनिश्चित किया जाय। अपर समाहर्ता द्वारा दिये गये निदेश यथा वैकल्पिक रास्ता निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने एवं तदोपरान्त बालू घाट का संचालन करने की स्वीकृति पट्टाधारी के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया।

लोक सुनवाई के अंत में प्रस्तावित बालू घाट से संबंधित उत्खनन परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यार्थ सक्षम प्राधिकार को भेजने की अनुशंसा तदनुसार करने का निर्णय लिया गया।


22/05/26
(अंजनी कुमार सिन्हा)

सहायक पर्यावरण अभियंता,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, पटना


(रवि प्रसाद चौहान)
अपर समाहर्ता, अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स मैग्निफिक इंटरप्राइजेज, प्रोपराईटर: ओबैद उल अहद, पिता: अब्दुल अहद, पता-चौथी मंजिल, 402, सोफिटल अपार्टमेंट, दानापुर, खगौल रोड, फुलवारी शरीफ, पटना-801505 द्वारा अरवल सोन नदी स्थित, अरवल सोन-09 (कमता-02) बालू घाट, मौजा-कमता, प्रखंड-कलेर, थाना-परासी, जिला-अरवल (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 22.09.2026 को 12:30 बजे अपराहन में प्रखंड कार्यालय, कलेर, जिला-अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ravi Prasad Choudhary	ADM, Arwal	Choudhary 22/9/26
2.	शंजरी कुमार सिन्हा	सं० प० अ० बिहार राज्य प्रमुख निवास पर्वत, पटना	Shankar 22.09.26
3.	मो० उल्हास राई	बिहार निरीक्षक, अरवल	Ullah 22.9.26
4.	नीतीश कुमार	Aegis Env. Res. Pvt. Ltd. (Env. Consultant)	Nitesh K.
5.	बिनायक सिन्हा प्रतीनीछी	मो० मी० जे० जी० अ० अज	Binaik Singh
6.	मो० आरिफ़ फ़ख़र	मो० आरिफ़ आरा (मो० नूपर)	M. Arif F.
7.	श. रि. म. न. कु. (ग. म.)	कामगार	Sh. R. M. N. K.
8.	Banty Kumar Singh	Kaler	Banty K. S.
9.	Lalmohan Singh	Danababigha	Lalmohan S.

10.	काका चावश	लक्ष्मनपुर बाथे	काका चावश
11.	रंजित राम	कामता	रंजित राम
12.	जीरोद कुमार	कामता	जीरोद कुमार
13.	विरेन्द्र राय	परशुरामपुर	विरेन्द्र राय
14.	दिकरु कुमर	पल्लवापुर	दिकरु कुमर
15.	अशुष कुमार	परशुरामपुर	अशुष कुमार
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			


 22/09/26